न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 67/2026 　　　　　　　　दायर दिनांकः 11.03.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पि. अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा
2. उजासकवंर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— पैरोकार सरकार

अप्राथी :— स्वयं

आदेश 　　　　　　　　दिनांक : 27.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खारपाकलॉ पटवार मण्डल खारपाकलॉ तहसील पिडावा जिला झालावाड़ की आराजी खसरा संख्या 1100/832 रकबा 0.0126 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जिसे आगे वाद्यस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीन जमाबंदी संलग्न है आराजी वर्तमान में प्रतिवादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश होने से बाद चाह नियमन नामान्तरण संख्या 1010 दिनांक 06.12.2010 से खसरा संख्या 1100/832 किस्म चारागाह में प्रतिवादी की गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण [illegible] की उक्त चाह का नियमन सिचाई प्रयोजनार्थ खसरा संख्या 1100/832 किस्म चारागाह से नियमन कर नामांतरण संख्या 1010 दिनांक 06.12.2010 द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

महोदय के आदेश की पालना में किया गया था। चूँकि राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ पम्पिंग सेट लगाने एवं कुआं निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम संख्या 7 उपनियम संख्या (1) में यह भूमि पट्टे पर दिए जाने के प्रावधान है न कि गैर खातेदार दर्ज किये जाने के। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खारपाकलॉ पटवार मण्डल खारपाकलॉ तहसील पिडावा जिला झालावाड़ की आराजी खसरा संख्या 1100/832 रकबा 0.0126 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह आराजी में अप्रार्थीगण को गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने का आदेश देने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। स्वयं अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी में दर्ज गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेन्ट जमा करवाने हेतु सहमति देकर इन्ही तथ्यों को बहस मानने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का खारपाकलॉ की रिपोर्ट, ग्राम खारपाकलॉ की सं. 1100/832 की खसरा गिरदावरी, ग्राम खांरपाकला का नामा.सं. 1010 दिनांक 06.12.2010, जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 427, जमाबंदी सं. 2067–70 के खाता सं. 124, नक्शा ट्रेस नकल पेश की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

4. प्रार्थी पैराकार सरकार एवं स्वयं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खारपाकलॉ के खाता सं. 427 के ख.नं. 1100/832 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थीगण सुरेन्द्रसिंह पि. अर्जुनसिंह जाति राजपूत व उजासकवंर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलॉ गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्र[illegible]ना[illegible] कुयें खादने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नि[illegible] 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध [illegible] को नियमितिकरण कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रति वर्ष 24/– की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 23.12.2010 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी ने दिनांक 25.03.2026 की आदेशिका में गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज करने एवं लीजरेंट की राशि की जमा करवाने हेतु सहमति प्रान की है।

6. पैराकार सरकार एवं स्वयं अप्रार्थी की सहमति बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम खारपाकलॉ के खाता सं. 427 के ख.नं. 1100/832 रकबा 0.0126 गे.मु. चाह अप्रार्थीगण सुरेन्द्रसिंह पि. अर्जुनसिंह जाति राजपूत व उजासकवंर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलॉ गैर खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम खारपाकलॉ के नामा.सं. 1010 दिनांक 06.12.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 16 में ***" चाह आवंटन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिडावा से चाह दर्ज किया गया"*** का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 1100/832 किस्म चरागाह में से 0–01 बीघा भूमि पर बने चाह का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 23.12.2010 अनुसार उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा चरागाह भूमि ख.नं. 468/395 रकबा 0–01 बीघा पर अप्रार्थी वल्लभसिंह पि. रूपसिंह जाति राजपूत नि. हनोतिया दुबलिया [illegible] खोदे गये एवं कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे अतिक्रमित [illegible] को 24/– प्रति वर्ष की लीज रेन्ट जमा कराने पर गै[illegible] के आदेश दिये गये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. राजस्थान भू.राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तो पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो– के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है –

Rule 7. Conditions of allotment.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Govemment under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:27 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरूद्ध टाईपिग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश दिनांक 23.12.2010 की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिक्रमी को लीज धारक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। **धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है।**

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम खारपाकलॉ तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 1100/832 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम खारपाकलॉ तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 1100/832 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह में प्रविष्टि को दुरूस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। **लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।** तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 18:57:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner